

झारखण्ड सरकार  
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संचिका संख्या: क्री०नि०-06/स्था०-10/2018 04./

दिनांक: 10-06-2022

संकल्प

**विषय:** झारखण्ड खेल नीति 2022 की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में खेल-खिलाड़ियों के विकास हेतु 2007 में झारखण्ड खेल नीति बनायी गई थी। वर्तमान परिवेश में नई खेल नीति की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिस निमित्त संकल्प संख्या- 1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा गठित झारखण्ड खेल नीति 2007 के स्थान पर झारखण्ड खेल नीति 2022 स्वीकृत की गई है, जो परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

झारखण्ड राज्य के युवा शक्ति एवं इसकी उर्जा को समृद्ध एवं प्रवाहमान बनाने तथा खेल के बहुआयामी पहलुओं के समग्र विकास हेतु नई झारखण्ड खेल नीति का प्रतिपादन किया गया है। ओलम्पिक 2020 (टोक्यो) में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रदर्शन में झारखण्ड राज्य से 02 खिलाड़ी शामिल थे। विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशीप में भी इस राज्य के तीरंदाजों द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। क्रिकेट के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से इस राज्य की प्रतिभाएँ लगातार अपना लोहा मनवा रही हैं तथा इस राज्य से भारतीय टीम में खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, जबकि प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंटों में भी इस राज्य के खिलाड़ी परचम लहरा रहे हैं।

राज्य सरकार भी खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए भी कृत संकल्पित है। राज्य में खेल प्रशिक्षण हेतु 36 आवासीय तथा 86 से भी ज्यादा डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जहाँ लगभग 3000 से ज्यादा बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही झारखण्ड सरकार तथा सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (CCL) के संयुक्त तत्वावधान में विशिष्ट खेल प्रशिक्षण/अकादमी झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (JSSPS), होटवार में स्थापित है, जहाँ लगभग 500 बच्चे एक साथ विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। झारखण्ड खेल नीति 2022 के सूत्रण से उपर्युक्त खेल सुविधाओं एवं प्रशिक्षण को त्वरण मिलेगा तथा खेल का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा। तदनुसार झारखण्ड खेल नीति 2022 पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

पूर्व में निर्गत संकल्प सं०-क्री.नि०-06/स्था०-10/2018 -03, दिनांक-07.06.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

**आदेश:** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

अनु०: यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव